



पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण
PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY



CIRCULAR

Circular no.: PFRDA/2022/12/SUP-CRA/3

June 09, 2022

To,

All stakeholders under NPS

Subject: NPS/APY Functionalities released by CRAs during Quarter IV (FY 2021-22)

The Central Record Keeping Agencies (CRAs) appointed by PFRDA develop system level functionalities as per the evolving needs of NPS/APY stakeholders in accordance with Section 21 of PFRDA Act 2013.

CRAs have the responsibility to develop new functionalities or utilities, establish new processes, offer multiple models of interface for the uploading offices in order to provide maximum flexibility in terms of operation for the benefit of the subscribers as an ongoing exercise to fulfil their obligations which ultimately benefit the Subscribers.

The functionalities made available by CRAs (Refer Annexures I, II & III) during Quarter IV of the FY 2021-22, categorized as under-

- i. NPS Regular / eNPS
- ii. NPS - Lite/ APY

The circular placed in the intermediary section of CRA on PFRDA website www.pfrda.org.in for the information of all NPS/APY stakeholders.

(K. Mohan Gandhi)
Chief General Manager

Annexure I - Functionalities released by Protean CRA during Q4 of FY 2021-22

No.	Name of Development/ Functionalities	Description
(i) NPS Regular / eNPS		
1	Withdrawal Process - Online Bank acct verification	<ul style="list-style-type: none"> As part of online processing of Superannuation / Premature Exit / Partial Withdrawal request for Government and Non-Government Subscribers Bank Account of the Subscriber and name is matched through Online Bank Account verification (penny drop facility). Now, Account verification along with name match will be performed at the time of initiation of withdrawal request instead of while authorization of request.
2	Online paperless exit process in Govt Sector	<ul style="list-style-type: none"> Online paperless exit (Superannuation / Premature Exit) has been implemented for Government Sector through OTP authentication / eSign in addition to physical Form submission option. As part of the process, Subscriber will initiate online exit, upload scanned documents and submit the same in the CRA system through OTP authentication / eSign. Bank Account of the Subscriber and name will be matched through Online Bank Account verification (penny drop facility).
3	Changes in complete withdrawal process request	In case of Superannuation Exit request for Govt. Subscribers, eligibility to opt for complete withdrawal will be on the basis of corpus at the time of initiation of request instead of corpus as on Date of Retirement.
4	eNPS subscribers - withdrawal through PoPs	POPs can initiate conditional withdrawal request for eNPS Subscribers also along with their mapped Subscribers.
5	NPS - HOD Dashboard facility	<ul style="list-style-type: none"> CRA has enabled HOD Dashboard for State Government HODs. Now HOD Dashboard has been extended to PFRDA users
6	eNPS payment gateway facility	<p>Integration with Razorpay payment gateway service provider for the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> Subscriber Registration T2 Activation TTS Activation NPS Lite Swavlamban Contribution

No.	Name of Development/ Functionalities	Description
7	Subscribers' consent to share the contact details with ASPs	<ul style="list-style-type: none"> • CRA shares details of Subscribers retiring in the next quarter at the beginning of current quarter • Now, as per PFRDA directive, CRA will share Subscriber details with ASPs for only those set of Subscribers who have provided consent for the same. • Subscribers belonging to Private Sector and Group A of Govt. Sector are required to provide consent in order to share details with ASPs • Subscribers can provide consent through their login in CRA Website, through link received in Email and SMS
8	ePRAN card - Integration with Digilocker	<ul style="list-style-type: none"> • Integration with Digilocker for issuance of ePRAN Card • Subscribers will be able to access ePRAN Card through Digilocker id.
9	NPS Scheme preference change - frequency update	<ul style="list-style-type: none"> • Scheme preference change allowed 4 times in a financial year for UOS & Corporate sector for Tier I • Scheme preference change allowed 4 times in a financial year for All Sectors for Tier II
10	Changes in Payin file format	Payin file format has been modified to incorporate onboarding of third CRA
11	Transaction Statement in regional languages	Transaction Statement is now available in Gujarati and Punjabi language in addition to English, Hindi, Kannada and Marathi languages.
12	PAN existence verification during Subscriber registration	At the time of Subscriber registration, existence of PAN in other CRA (API service provided by KCRA) will be checked.
13	Enabling conditional withdrawal beyond 60 years	<p>Conditional withdrawal has been allowed for the below mentioned scenarios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Subscriber who have joined after 60 years of age • Subscribers who have joined before 60 years and now crossed 60 years/retirement

No.	Name of Development Functionalities	Description
14	Reduction in minimum number of years for Premature Exit	<p>Following are the changes in the processing of Premature Exit requests:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reduction of Minimum of 10 years to 5 years for UOS Subscribers • Removal of Minimum of 10 years for Corporate Subscribers
15	Password protected system generated registration form	<ul style="list-style-type: none"> • At the time of registration through eNPS, once Subscriber completes eSign/OTP Authentication, system generated registration form is sent as an attachment to the Subscriber through email. • Now system generated registration form sent will be password protected wherein subscriber has to enter password in order to view the same.
16	Changes in CRA interoperability framework	Changes in Interoperability framework to incorporate third CRA integration
(ii) NPS Lite / APY		
17	Mandatory new APY exit file format during withdrawal process	<ul style="list-style-type: none"> • APY Service Providers (APY-SPs) upload the online exit file in CRA system for Subscribers exiting APY due to premature exit. • New APY Voluntary Exit file format with following fields was made mandatory: <ul style="list-style-type: none"> ○ Active Bank Account Flag ○ Reason for Exit
18	NPS Lite/APY - Aadhaar Seeding facility	<ul style="list-style-type: none"> • Aadhaar seeding facility for APY Subscribers made available to the Subscribers. • Subscribers can seed Aadhaar through link provided on limited access view of the CRA transaction website



पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण
PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY



प्रारूप परिपत्र

परिपत्र संख्या : PFRDA/2022/12/SUP-CRA/3

09 जून, 2022

सेवा में,

एनपीएस के तहत सभी हितधारक

विषय : केंद्रीय अभिलेखपालन अभिकरणों (सीआरए) द्वारा तिमाही IV (वित्त वर्ष 2021-22) के दौरान जारी एनपीएस / एपीवाई कार्यप्रणालियाँ

पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 की धारा 21 के अनुसार पीएफआरडीए द्वारा नियुक्त केंद्रीय अभिलेखपालन अभिकरण (सीआरए), एनपीएस / एपीवाई हितधारकों की उभरती हुई जरूरतों को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थागत कार्यप्रणालियाँ विकसित करते हैं।

सीआरए के पास अपने कर्तव्यों को पूरा करने की एक सतत प्रक्रिया के तौर पर अभिदाताओं के लाभ के लिए संचालन के मामले में अधिकतम लचीलापन प्रदान करने के क्रम में नई कार्यप्रणालियों या उपयोगिताओं को विकसित करने, नई प्रक्रियाओं को स्थापित करने तथा अपलोडिंग कार्यालयों हेतु इंटरफेस के अनेक प्रारूपों को पेश करने की जिम्मेदारी है जो अंततः अभिदाताओं को लाभान्वित करती है।

मौजूदा वित्त वर्ष 2021-22 की तिमाही IV के दौरान सीआरए द्वारा विकसित और उपलब्ध करायी गई कार्यप्रणालियाँ (अनुलग्नक I, II और III देखें) निम्नानुसार श्रेणीबद्ध हैं-

- एनपीएस नियमित (रेगुलर) / ईएनपीएस
- एनपीएस - लाइट/ एपीवाई

सभी एनपीएस / एपीवाई हितधारकों की सूचना के लिए परिपत्र को पीएफआरडीए वेबसाइट www.pfrda.org.in पर सीआरए के मध्यवर्ती इकाइयों वाले भाग में रखा गया है।

के मोहन गाँधी

(के.मोहन गाँधी)

मुख्य महाप्रबन्धक

अनुलग्नक I – Protean CRA द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 की तिमाही 4 के दौरान जारी कार्यप्रणालियाँ

क्र.सं	विकास / कार्यप्रणालियों का नाम	विवरण
(I). एनपीएस नियमित (रेगुलर) / ईएनपीएस		
1.	निकासी प्रक्रिया में आसानी - विवरण की पुष्टि में परिवर्तन	<ul style="list-style-type: none"> सेवानिवृत्ति / समयपूर्व निकास / सरकारी और गैर-सरकारी अभिदाताओं द्वारा आंशिक निकासी अनुरोध की ऑनलाइन प्रक्रिया के एक भाग के रूप में अभिदाता के बैंक खाता और नाम का मिलान ऑनलाइन बैंक खाता सत्यापन (पेनी ड्रॉप सुविधा) के माध्यम से किया जाता है। अब नाम मिलान के साथ खाता सत्यापन, अनुरोध के पुष्टिकरण के दौरान किए जाने की बजाय निकासी अनुरोध की शुरुआत के समय ही किया जाएगा।
2.	सरकारी क्षेत्र के अभिदाताओं के लिए ऑनलाइन पेपरलेस निकासी को सक्षम करना	<ul style="list-style-type: none"> सरकारी क्षेत्र के लिए ऑनलाइन पेपरलेस निकासी (सेवानिवृत्ति / समयपूर्व निकास) को भौतिक फॉर्म जमा करने के विकल्प के साथ ही ओटीपी प्रमाणीकरण / ई-साइन के माध्यम से भी लागू किया गया है। प्रक्रिया के भाग के रूप में, अभिदाता ऑनलाइन निकास प्रक्रिया आरंभ करेंगे, स्कैन किए गए दस्तावेज़ अपलोड करेंगे और ओटीपी प्रमाणीकरण / ई-साइन के माध्यम से उसे सीआरए सिस्टम में जमा करेंगे। अभिदाता के बैंक खाता और नाम का मिलान ऑनलाइन बैंक खाता सत्यापन (पेनी ड्रॉप सुविधा) के माध्यम से किया जाएगा।
3.	अनुरोध शुरू करने की तिथि के आधार पर पूर्ण निकासी	<ul style="list-style-type: none"> सरकारी अभिदाताओं के सेवानिवृत्ति निकासी के अनुरोध के मामले में, पूर्ण निकासी का विकल्प चुनने की पात्रता सेवानिवृत्ति की तिथि को कॉर्पस के बजाय अनुरोध की शुरुआत के समय कॉर्पस के आधार पर होगी।
4.	पीओपी के माध्यम से ईएनपीएस ग्राहकों हेतु निकासी को सक्षम करना	पीओपी अपने मैप किए गए अभिदाताओं के साथ-साथ ईएनपीएस अभिदाताओं के लिए भी सशर्त निकासी अनुरोध शुरू कर सकते हैं।
5.	एनपीएस – एचओडी डैशबोर्ड सुविधा	<ul style="list-style-type: none"> सीआरए ने विभागाध्यक्षों के उपयोग हेतु राज्य सरकार के लिए एचओडी डैशबोर्ड सक्षम किया है। अब एचओडी डैशबोर्ड को पीएफआरडीए उपयोगकर्ताओं के लिए भी उपलब्ध कर दिया गया है।
6.	eNPS के तहत एक नया भुगतान गेटवे सेवा प्रदाता को संलग्न करना	<p>निम्नलिखित के लिए Razorpay के साथ एकीकरण :</p> <ul style="list-style-type: none"> अभिदाता पंजीकरण T2 सक्रियण/TTS सक्रियण NPS Lite स्वावलम्बन अंशदान

क्र.सं.	विकास / कार्यप्रणालियों का नाम	विवरण
7.	एएसपी के साथ संपर्क विवरण साझा करने हेतु अभिदाता सहमति फ्रेमवर्क विकसित करना	<ul style="list-style-type: none"> सीआरए चालू तिमाही की शुरुआत में ही अगली तिमाही में सेवानिवृत्त हो रहे अभिदाताओं का विवरण साझा करता है अब, सीआरए केवल उन अभिदाताओं के समूह के लिए एएसपी के साथ अभिदाता विवरण साझा करेगा जिन्होंने इसके लिए सहमति प्रदान की हो निजी क्षेत्र और सरकार के समूह ए से संबंधित अभिदाताओं को एएसपी के साथ विवरण साझा करने के लिए सहमति प्रदान करने की आवश्यकता होगी अभिदाता ईमेल और एसएमएस में प्राप्त लिंक के माध्यम से सीआरए वेबसाइट में अपने लॉगिन के जरिए सहमति प्रदान कर सकते हैं
8.	डिजिलॉकर में ई-प्रान देखें	<ul style="list-style-type: none"> ePRAN कार्ड जारी करने के लिए डिजिलॉकर के साथ एकीकरण अभिदाता डिजी लॉकर आईडी के माध्यम से ePRAN कार्ड का उपयोग कर सकेंगे।
9.	अभिदाताओं के लाभ के लिए योजना वरीयता परिवर्तन में बढ़ोतरी	<ul style="list-style-type: none"> यूओएस और कॉर्पोरेट क्षेत्र के लिए टियर I और टियर II हेतु यूओएस के लिए एक वित्तीय वर्ष में 4 बार योजना वरीयता परिवर्तन की अनुमति
10.	पे-इन फ़ाइल स्वरूप में परिवर्तन	तीसरे सीआरए (सीएएमएस सीआरए) के आन-बोर्डिंग को शामिल करने के लिए पे-इन फ़ाइल प्रारूप में संशोधन किया गया है
11.	क्षेत्रीय भाषाओं में लेनदेन विवरण	लेनदेन विवरण अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ और मराठी भाषाओं के अलावा अब गुजराती और पंजाबी भाषा में भी उपलब्ध है।
12.	अभिदाता पंजीकरण के दौरान पैन सत्यापन	अभिदाता पंजीकरण के समय, अन्य सीआरए (KCRA द्वारा प्रदान की गई एपीआई सेवा) में पैन के अस्तित्व की जांच की जाएगी।
13.	60 वर्ष से अधिक की आयु में सशर्त / आंशिक निकासी	<p>अभिदाताओं के लिए सशर्त निकासी की अनुमति दी गई है –</p> <ul style="list-style-type: none"> अभिदाता, जो 60 वर्ष की आयु के बाद शामिल हुए हैं अभिदाता जो 60 वर्ष से पहले शामिल हुए हैं और अब 60 वर्ष / सेवानिवृत्ति को पार कर चुके हैं

क्र.सं.	विकास / कार्यप्रणालियों का नाम	विवरण
14.	समयपूर्व विकास अनुरोधों के प्रक्रिया में परिवर्तन	<ul style="list-style-type: none"> • कॉर्पोरेट अभिदाताओं के लिए न्यूनतम 10 वर्ष के अनिवार्य सब्सक्रिप्शन को हटाना • यूओएस अभिदाताओं के लिए न्यूनतम 10 साल के अनिवार्य सब्सक्रिप्शन को घटाकर 5 साल करना
15.	पासवर्ड द्वारा सुरक्षित / सिस्टम जनित पंजीकरण फॉर्म	<ul style="list-style-type: none"> • ईएनपीएस के माध्यम से पंजीकरण के समय, एक बार जब अभिदाता ई-साइन/ओटीपी प्रमाणीकरण पूरा कर लेता है, तो सिस्टम जेनरेटेड पंजीकरण फॉर्म को अभिदाता के ईमेल पर संलग्नक के तौर पर भेजा जाता है। • अबसे, भेजा गया सिस्टम जनित पंजीकरण फॉर्म पासवर्ड से सुरक्षित होगा जिसे देखने के लिए अभिदाता को पासवर्ड दर्ज करना होगा।
16.	सीआरए अंतःक्रियाशीलता फ्रेमवर्क में बदलाव	तीसरे सीआरए को शामिल करने के लिए अंतःक्रियाशीलता फ्रेमवर्क में बदलाव
(ii). एनपीएस – लाइट/ एपीवाई		
17.	निकासी प्रक्रिया के दौरान नया APY निकास फ़ाइल प्रारूप अनिवार्य	<ul style="list-style-type: none"> • एपीवाई सेवा प्रदाता (एपीवाई-एसपी) समयपूर्व विकास के कारण योजना से बाहर निकलने वाले अभिदाताओं के लिए सीआरए प्रणाली में ऑनलाइन निकास फ़ाइल अपलोड करते हैं। • नए APY स्वैच्छिक निकास फ़ाइल प्रारूप को निम्नलिखित क्षेत्रों के साथ अनिवार्य किया गया था : <ul style="list-style-type: none"> ○ सक्रिय बैंक खाता फ्लैग ○ निकासी का कारण
18.	एनपीएस लाइट / एपीवाई - आधार सीडिंग सुविधा	<ul style="list-style-type: none"> • एपीवाई अभिदाताओं के लिए आधार सीडिंग सुविधा उपलब्ध कराई गई है। • अभिदाता सीआरए लेनदेन वेबसाइट के लिमिटेड एक्सेस व्यू पर दिए गए लिंक के माध्यम से आधार को सीड कर सकते हैं